

चयन समिति वन आरक्षी, खुली प्रतिस्पर्धा की बैठक दिनांक 04.11.2015 का कार्यवृत्त

चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत में वन आरक्षी के कुल 113 स्वीकृत पदों का रोस्टर मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 858/25-4-2 दिनांक 25 मार्च 2008 से जारी किया गया है। चम्पावत वन प्रभाग में स्वीकृत पदों में सीधी भर्ती (सामयिक कर्मकार श्रेणी व खुले बाजार से भर्ती की श्रेणी) में 102 पद तथा शेष 11 पद पदोन्नति से भरे जाने वाली है। सीधी भर्ती के 102 पदों के विरुद्ध 74 सामयिक कर्मकार एवं शेष 28 पद खुली बाजार की श्रेणी के अन्तर्गत हैं। खुले बाजार से भर्ती की श्रेणी में वर्तमान में 28 स्वीकृत पदों के सापेक्ष कुल 16 कार्मिक कार्यरत है, शेष 12 पद रिक्त हैं।

उक्त रोस्टर के अनुसार आरणवार रिक्त पदों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है

सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	योग
07	03	01	01	12

अवर अधिनस्थ वन सेवा नियमावली, 1980 दिनांक 13 जून 1980 व उत्तरांचल शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1 संख्या 1347/1(1)व0 ग्रा0 वि0/2002-4 (1)/2001 दिनांक 08 नवम्बर 2002 एवं उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1 संख्या 3943/दस-1-2007-4(1) टी0 सी0 देहरादून दिनांक 25.09.2007 एवं उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1 संख्या 1737/X-1-2011-4(33)/2006 दिनांक 22.09.2011 के क्रम में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड अल्मोडा के पत्रांक 778/1-14-8 दिनांक 30.09.2014 से जारी निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 929/1-14 दिनांक 09.10.2014 को वन आरक्षियों की भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञापित प्रकाशित की गयी, जिसमें रिक्तियों उपरोक्तानुसार दर्शायी गयी हैं, तथा रिक्तियों के घट/बढ़ जाने से व संगत शासनादेशों के अनुसार क्षैतिज एवं उर्ध्वाधर आरक्षण लागू होने का भी उल्लेख उक्त प्रकाशित विज्ञापनों में कराया गया तथा उक्त विज्ञापन में आवेदकों की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष रखी गयी थी। उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-2 की पत्र संख्या 107/XXX(2)/2014-55(41)2004 दिनांक 25.02.2014 तथा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक पी0 ओ0 141/1-14 (8) दिनांक 18 अगस्त 2015 अधिकतम आयु सीमा संशोधित कर 42 वर्ष निर्धारित की गयी। जिसके कारण पूर्व प्रकाशित विज्ञापनों में आयु सीमा संशोधित कर आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 05.09.2015 तक बढ़ायी गयी। निर्धारित तिथि तक 4329 आवेदन पत्र प्राप्त हुये।

वन आरक्षी के चयन हेतु अवर अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 1980 (यथा संशोधित), उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1 के संख्या 3943/दस-1-2007-4(1) टी0 सी0 देहरादून दिनांक 25.09.2007 के अनुसार चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत के पत्रांक 828/1-14 दिनांक 16 सितम्बर 2015 एवं पत्रांक 1178/1-14 दिनांक 28 अक्टूबर 2015 से चयन समिति का गठन किया गया। समय-समय पर चयन समिति की बैठक की गयी तथा चयन समिति की सहमति व निर्देशानुसार पर आवेदन पत्रों की जाँच करवायी गयी जिसमें 2994 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाये जाने पर उनका शारीरिक परीक्षण दिनांक 28.09.2015 से 01.10.2015 तथा दिनांक 09.10.2015 एवं दिनांक 14.10.2015 को जिला चिकित्सालय, निकट गैस एजेन्सी चम्पावत में चिकित्सकों से कराने हेतु निर्देशित किया गया। शारीरिक परीक्षण में 985 अभ्यर्थी उपस्थित हुये, जिनमें 897 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण में उपयुक्त पाये गये। लिखित परीक्षा हेतु समिति के अध्यक्ष द्वारा गोपनीयता बरकरार रखने हेतु प्रश्नपत्र तैयार किये/कराये गये। लिखित परीक्षा दिनांक 18.10.2015 को क्रमशः राजकीय इण्टर कालेज चम्पावत, राजकीय बालिका इण्टर कालेज चम्पावत एवं विवेकानन्द विद्या मन्दिर इण्टर कालेज चम्पावत में अपरान्ह 01 बजे से 04 बजे तक सम्बन्धित प्रधानाचार्यों व उनके अधिकारियों/ कर्मचारियों की देख-रेख एवं उनके निर्देशन में करायी गयी, परीक्षा सम्पन्न कराये जाने तक विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी भी करवायी गयी। परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं को सम्बन्धित प्रधानाचार्यों द्वारा अपने समक्ष सील कराया गया। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 231/1-14 (8) दिनांक 30 जुलाई 2015 में दिये गये निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्रांक 1126/1-14 दिनांक 19.10.2015 से उत्तर पुस्तिकाये मूल्यांकन करने हेतु बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर को विशेष पत्रवाहक श्री हिमालय सिंह टोलिया के माध्यम से भेजी गयी। उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अपने पत्रांक मैमो दिनांक 27.10.2015 द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर उत्तर पुस्तिकाये सील बन्द कर इस कार्यालय को प्रेषित की गयी। जिसको समिति के समक्ष आज दिनांक 04.11.2015 खोला गया।

वन आरक्षी खुली प्रतिस्पर्धा में ऊर्ध्वाधर आरक्षण की स्थिति के अनुसार 12 स्वीकृत पदों की क्षैतिज आरक्षवार संख्या का विवरण निम्न प्रकार है :-

सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	योग
07	03	01	01	12

सामान्य की 07 रिक्तियों में :-

अनारक्षित (सामान्य)	भूतपूर्व सैनिक (05 प्रतिशत)	स्वतन्त्रता संग्रामसेनानियों के आश्रित (02 प्रतिशत)	महिला (30 प्रतिशत)	खिलाडी (04 प्रतिशत)	उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी (10 प्रतिशत)
04	0	0	02	0	01

अनु0 जाति की 03 रिक्तियों में :-

अनारक्षित (अनु0 जाति)	भूतपूर्व सैनिक (05 प्रतिशत)	स्वतन्त्रता संग्रामसेनानियों के आश्रित (02 प्रतिशत)	महिला (30 प्रतिशत)	खिलाडी (04 प्रतिशत)	उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी (10 प्रतिशत)
02	0	0	01	0	0

अनु0 जन जाति की 01 रिक्तियों में :-

अनारक्षित (अनु0 जन जाति)	भूतपूर्व सैनिक (05 प्रतिशत)	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित(02 प्रतिशत)	महिला (30 प्रतिशत)	खिलाडी (04 प्रतिशत)	उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी (10 प्रतिशत)
01	0	0	0	0	0

अन्य पिछडा वर्ग की 01 रिक्तियों में :-

अनारक्षित (अन्य पिछडा वर्ग)	भूतपूर्व सैनिक (05 प्रतिशत)	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (02 प्रतिशत)	महिला (30 प्रतिशत)	खिलाडी (04 प्रतिशत)	उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी (10 प्रतिशत)
01	0	0	0	0	0

अवर अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 1980 (यथा संशोधित), उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1 के संख्या 3943/दस-1-2007-4(1) टी0 सी0 देहरादून दिनांक 25.09.2007 व संगत शासनादेशों के अनुसार दि0 18.10.2015 को आयोजित परीक्षा के उपरान्त चयन समिति द्वारा निम्न अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों के क्रमशः अवरोही क्रम में वन आरक्षी खुली प्रतिस्पर्धा के पदों के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर आरक्षण के उक्त विवरण के विपरित रिक्त पदों पर नियुक्त किये जाने के लिए क्रमशः उपयुक्त पाया गया-

क्र0 सं0	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	प्राप्तांक	उर्ध्वाधर आरक्षण	क्षैतिज आरक्षण
1	0359	श्री मनोज कुमार पंत	श्री कस्तुवानन्द पंत	87.50	सामान्य	-
2	0177	श्री मनोज कुमार काण्डपाल	श्री मोहन चन्द्र काण्डपाल	86.75	सामान्य	-
3	0057	श्री अजय सिंह अधिकारी	श्री महेश सिंह अधिकारी	84.25	सामान्य	-
4	0132	श्री भुवन पंत	श्री सुभाष चन्द्र पंत	83.75	सामान्य	-
5	0321	मेनका उपाध्याय	श्री विपिन चन्द्र उपाध्याय	68.75	सामान्य	महिला
6	0355	कमला भट्ट	श्री नवीन चन्द्र भट्ट	61.75	सामान्य	महिला
7	0167	श्री अजय विश्वकर्मा	श्री नरेन्द्र लाल विश्वकर्मा	65.25	अनु0जाति	-
8	0345	श्री हर्ष वर्धन गडिया	श्री एम आर गडिया	65.25	अनु0जाति	-
9	0012	पूनम आर्या	श्री गोधनराम	57.50	अनु0जाति	महिला
10	0102	श्री मनोज सिंह	श्री नाथ सिंह	61	अनु0जन0जाति	-
11	0609	श्री गिरीश चन्द जोशी	श्री केशव दत्त जोशी	72.25	अ0पि0व0	-

यद्यपि उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी में क्षैतिज आरक्षण दिये जाने हेतु किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन नहीं किया गया और न ही ऐसा कोई प्रमाण पत्र अपने आवेदन में संलग्न किया गया। उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी को क्षैतिज आरक्षण दिये जाने हेतु शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के विपरित मा0 न्यायालय में विभिन्न जनहित याचिकायें योजित की गयी हैं। अतः आज दिनांक 04.11.2015 की तिथि तक जारी शासनादेशों एवं माननीय न्यायालय में योजित जनहित याचिकाओं एवं आदेशों का संज्ञान लेते हुए समुचित विधि परीक्षण कराकर उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी को आरक्षण दिये जाने सम्बन्धी निर्णय निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी ले कर समुचित कार्यवाही करन पर समिति पूर्णतः सहमत है।

अवर अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 1980 (यथा संशोधित) में रिक्तियों के सापेक्ष 25 प्रतिशत अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में रखने का प्राविधान है। अतः निम्न अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखे जाने पर समिति सहमत है। यदि नियुक्ति हेतु पात्र कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो उसके विपरित प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को क्रमशः नियुक्त किया जा सकता है।

क्र0 सं0	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	प्राप्तांक	उर्ध्वाधर आरक्षण	क्षैतिज आरक्षण
1	0082	श्री प्रेम बल्लभ भट्ट	श्री महेश चन्द्र भट्ट	83.25	सामान्य	-
2	0130	श्री देवेश चन्द्र विनवाल	श्री भवानी दत्त विनवाल	80	सामान्य	-
3	0815	श्री संजव द्विवेदी	श्री उषापति द्विवेदी	64.75	अ0पि0व0	-
4	0195	श्री सुरेश राम	श्री नाथूराम	61.25	अनु0जाति	-
5	0382	श्री राकेश जंगपांगी	श्री भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी	35	अनु0जन0जाति	-

नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अन्य विभागों में कार्यरत कार्मिकों की सम्बन्धित विभागों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र होने आदि सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्रों का समुचित अवलोकन एवं सत्यापन एवं परीक्षण करने के उपरान्त समिति द्वारा पात्र पाये गये उक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता क्रम में नियुक्ति आदेश निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(जे0 सी0 दानी)
वन क्षेत्राधिकारी,
देवीधूरा

(एम0 एस0 सिरौही)
एस0 डी0 ओ0
लोहाघाट/ चम्पावत

(एम0 एस0 धर्मसत्तू)
अधिकासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग,
प्रान्तीय खण्ड लोहाघाट

(जय प्रकाश यादव)
(जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा नामित)
पशुचिकित्सा अधिकारी,
चम्पावत

(ए0 क० गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत